प्रेस नोट दिनांक- 03.12.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा गोल्ड मैजिक वाहन से 02 राशि गोवंशीय पशु बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, व पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, गोवंशो की तस्करी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना इलिया प्रियंका सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी चौकी प्रभारी कस्बा इलिया द्वारा मय हमराह संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन के चेकिंग के दौरान दिनांक 02.12.2024 को 01 टाटा गोल्ड मैजिक वाहन से क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार ले जाये रहे 02 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद करते हुए 01 शातिर गौ-तस्कर को बरियारपुर नहर वहद ग्राम बरियारपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

बरियारपुर नहर वहद ग्राम बरियारपुर बफासला 08 किमी उत्तर थाना इलिया जनपद चन्दौली

नाम पता अभियुक्तगण-

1. सूर्यदेव पुत्र वासुदेव चौहान निवासी ग्राम अमाव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 111/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

1.एक टाटा गोल्ड मैजिक वाहन नं0 UP65NT 2349 ।

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी थाना इलिया जनपद चन्दौली।
3.उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
4. हे0का0 दिनेश कुमार द्वितीय थाना इलिया जनपद चन्दौली।

थाना व जनपद चंदौली

◆थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा डीसीएम से क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 17 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चंदौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 टाटा डीसीएम से 17 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 286/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि व 325 बीएनएस . पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 03.12.2024 को थाना चंदौली पुलिस टीम को जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुई एक डीसीएम जिसका नम्बर UP50BT7327 है जिसमे पीली तिरपाल बधी है जो नेशनल हाईवे के रास्ते आ रही है अभी सिंधीताली के पास पहुँची है उक्त डीसीएम में गोवंशीय पशु है जिनको वध हेतु बिहार के रास्ते प0 बंगाल ले जा रहा है यदि जल्दी किया जाये तो अपने थाना क्षेत्र में ही उक्त डीसीएम को पकड़ा जा सकता है मुखबीर द्वारा बतायी गयी सूचना पर विश्वास कर चन्दौली पुलिस तत्काल बडे साहब के ढाबा के पास डाईवर्जन लेन पर आया डीसीएम UP50BT7327 जिसमे पीली तिरपाल बधी है का इंतजार करने लगे कि कुछ ही समय पश्चात एक डीसीएम जिसमे नम्बर UP50BT7327 आ गयी जो जाम की स्थित के कारण रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी कि उक्त वाहन को मौके पर ही रुकवा लिया गया तथा साईड मे उक्त वाहन के ड्राईवर को नीचे उतारकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आफान पुत्र हबीबउद्दीन निवासी अहमदपुर असरौली थाना पुरामुक्ती जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष बताया। चन्दौली पुलिस द्वारा डीसीएम में बधी पीली रंग की तिरपाल हटाकर देखा गया तो कुल 16 राशि गोवंश जीवित व 01 मृत गोवश बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 286/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि व 325 बीएनएस . पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गोवश राजापुर जो कौशाम्बी व चित्रकूट की सीमा है। वहां से इकट्ठा कर राजापुर से मंझनपुर से कोखराज हण्डिया, गोपीगंज, बिहार के रास्ते प0 बंगाल वध हेतु ले जा रहा था। मुझे प्रति चक्कर के हिसाब से 20000 रुपये मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.आफान पुत्र हबीबउद्दीन निवासी अहमदपुर असरौली थाना पुरामुक्ती जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-
1.मु.अ.स. 286/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि व 325 बीएनएस थाना व जिला चन्दौली
2.मु.अ.सं. 178/2024 धारा 4/5 Explosive Substances Act थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज
3.मु.अ.सं. 181/2023 धारा 3/5/8 गोवध नि. अधि. थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज
4.मु.अ.सं. 310/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज

5.मु.अ.सं. 793/2020 धारा 3/5ए/8/ गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि व 307/427 भादवि थाना पुरामुफ्ती जनपद प्रयागराज

6.मु.अ.स. 286/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि व 325 बीएनएस थाना व जिला चन्दौली

विवरण बरामदगी–

1.16 राशि गोवंशीय पशु जीवित, व 01 अदद गोवशीय पशु मृत कुल 17 राशि गोवंशीय पशु बरामद

2.डीसीएम वाहन संख्या UP50BT7327

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

2.उ.नि. सूरज सिंह चौकी प्रभारी नवही थाना व जिला चन्दौली

3.उ.नि. रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी नवीन मण्डी थाना व जिला चन्दौली

4.हे.का. इन्द्रजीत प्रजापति थाना व जिला चन्दौली।

5.का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली ।

6.हे0का0 सुनील सिंह थाना व जिला चन्दौली

7.का0 रुपेश दुबे थाना व जिला चन्दौली।

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष(एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 29.12.2006 को धारा 3(1)यू0पी0गै0 एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामजतन यादव पुत्र बद्री यादव निवासी ग्राम मजदहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 151/2006 धारा 3(1)यू0पी0गै0 एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय(एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार का0 बृजेश सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 03.12.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन श्री श्याम बाबू (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष(एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1. रामजतन यादव पुत्र बद्री यादव निवासी ग्राम मजदहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली को 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

थाना इलिया जनपद चंदौली

◆थाना इलिया पुलिस द्वारा एक टाटा मैजिक वाहन से 01 राशि गोवंशीय पशु व 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली महोदय श्री आदित्य लांग्हे द्वारा दिये गये गोतस्करों के विरूद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी चौकी प्रभारी कस्बा इलिया अपने हमराहियो के द्वारा दिनांक 03.12.2024 को उस समय सफलता मिली जब अभियुक्त वाहन चालक/वाहन स्वामी चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र राम जनम मौर्य उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जमोखर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा एक टाटा मैजिक वाहन से 01 राशि गोवंशीय पशु को क्रूरता पूर्वक वाहन में लादकर बिहार ले जाया जा रहा था कि ग्राम बरियारपुर हरिजन बस्ती के पास वहद ग्राम बरियारपुर से गोवंशीय पशुओ को वाहन के साथ बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान -

ग्राम बरियारपुर हरिजन बस्ती के पास वहद ग्राम बरियारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली

नाम पता अभियुक्तगण-

1.चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र राम जनम मौर्य उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जमोखर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 113/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

1.एक टाटा मैजिक वाहन नं0 UP67AT 5375।

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 मनेश शंकर द्विवेदी थाना इलिया जनपद चन्दौली।
3.उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
4.हे0का0 बृजेन्द्र यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।